

# सहकारिता विभाग

## उत्तर प्रदेश

---

मुद्रण : सहकारी प्रेस, यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन लि०  
सहकारिता भवन, 14, विधान सभा मार्ग, लखनऊ



“सहकार से समृद्धि”

## सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलें

(6 जुलाई 2021-14 जून 2023)

### (क) प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण

#### 1. पैक्स को वहु-उद्देशीय बनाने के लिए आदर्श उपविधियां

सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय संघों एवं अन्य हितधारकों से परामर्श के पश्चात तैयार की गई एवं 05 जनवरी 2023 को परिचालित की गई। इससे PACS/ LAMPS की आय के स्रोत बढ़ेंगे और लगभग 25 से अधिक नए क्षेत्रों जैसे डेयरी, माल्टियकी, भण्डारण, इत्यादि में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अब तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इन्हें अपनाया जा चुका है एवं अन्य राज्यों में लागू करने का कार्य प्रगति पर है।

#### 2. पैक्स के सशक्तिकरण हेतु उनका कम्प्यूटरीकरण

कुल 63,000 क्रियात्मक PACS/ LAMPS को एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से NABARD के साथ लिंक किया जा रहा है। अभी तक 24 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 58,383 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हार्डवेयर खरीद, डीजीटाइजेशन एवं सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने हेतु कुल 437.17 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। NABARD द्वारा राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है। राज्यों द्वारा हार्डवेयर की खरीद एवं सिस्टम इंटीग्रेटर फाइनल होने के पश्चात कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ हो जाएगा। इस पहल से PACS की कार्य कुशलता एवं पारदर्शिता बढ़ेगी।

#### 3. प्रत्येक पंचायत / गांव में वहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समिति (2 लाख नई समितियों) की स्थापना

15 फरवरी, 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस योजना में अगले 5 वर्षों में अब तक कवर न

४. जात संस्कारों का विवरण करने के लिये महाकारिता भवन में विष्णु की सबल बड़ी विकल्पकृत

卷之三

31 मई, 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस पोर्जना के अन्तर्गत पेंस चर्च पर प्रीत चरकर्के का विभिन्न पोषणयांत्रों के अधिकार से लिमिट प्रकार की कृपि अदायनाएँ जैसे कि गोदम, कट्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य दुकान, इत्यादी का निर्माण किया जाएगा। इस

परबना सदस्यों को दीक्षित करने का विधिवत् हारण। अन्याय का हारण विधिवत् हारण को अपनी उपज के बेहतर मूल्य को प्राप्ति कुनैश्चित् डॉग्स एवं पैक्स स्लर पर ही कृषि सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। इस योजना का क्रियावन राज्यों के सहयोग से पायतट प्रोजेक्ट द्वारा शुरू किया जा रहा है जिसको कि अंतर-मन्त्रालयी समिति, गणराज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा समन्वित किया जाना है।

५. ई-सेवाओं की बेहतर पहुँच के लिए कॉमन सेवा केन्द्र (सीएसटी) के रूप में पैक्स

PACS द्वारा CSC की सेवाएं दिए जाने हुए सहकारिता मत्रालय, इलेक्ट्रोनिको और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय नामबद्ध और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 02.02.2023 समझौता ज्ञाप्त हस्ताक्षरित हुआ, जिसके बाद CSC द्वारा दी जाने वाली 300 से भी अधिक ई-सेवाएं अब पेक्स भी दे सकेंगी। अभी तक 15 हजार से अधिक पेक्स को CSC के रूप में ऑफर्स की जा रही है। अब उनका नाम सेवाएं अब CSC-SPV एवं नामबद्ध द्वारा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

५. पैस के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (FPOs) का गठन

एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहकारिता के क्षेत्र में 100 अंतरिक्ष एफपीओ के आवंटन का निर्णय लिया गया है। अब पैक्स FPO के रूप में कृषि

दर्शन करने वालों का सम्मान करने में निपुण है। यह विद्या विभिन्न विषयों की विज्ञानीय विधियों में अपनी विशेषता रखती है।

7. एक संकेत की उपर्युक्त विवरणों के लिए प्रयोग

४. प्रस्तुता संचालित बनकर कंजन्दार पर्यावरण का जीवन ने बदलने का उद्देश्य प्रटीलियम एवं प्राकृतिक नैन नियन्त्रण नोड्यूल योग्य उपयोगी अवधि का इंटर अउटलेट में बदलने के लिए उपलब्ध है। साथ ही प्रटीलियम के लिए वीजेस का अवधि का अउटलेट द्वारा उपलब्ध है। यह वार्षिक इन प्रवर्धनों से प्रत्यक्ष के द्वारा भी दृष्टि रोपन करने में सक्षम है।

9. ग्रामीण स्तर पर जनरिक दवाइयों की पहुँच के लिए बन गौणिति केंद्र के रूप में व्यवस्था 06 जून, 2023 को भारतीय हड्डे सहकारिता भवी जी की अधिकारी ने सरकारी राज्य उर्वरक मंत्रालय के साथ आयोगीत बैठक में आलं. 2023 तक 1,000 हड्डे विनियोग, 2023 तक 2,000 विनिहित पैक्स पर जन औषधि के द्वाते जाने का नियम दिया गया। इससे ग्रामीण जनकल्प लार पर सही जैनरिक दवाइयों भी आम तौरों को उपलब्ध हो सकेंगे और पैक्स को ग्रामीण के अधिकतम अवसर मिलेंगे। इच्छुक पैक्स को विनिहित कर राज्य सरकार द्वारा उन्हें बहुताहिन अवैद्यत देके लिए प्रोत्साहित किया जाना है।

10. उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में पैक्स

06 जून, 2023 को माननीय गृह संसद सहकारिता मंत्री जी को अध्यक्षता में माननीय स्वतन्त्र भजा के साथ आयोजित बैठक में कार्यशील पैक्स को उर्वरक बुद्धि विकेत के रूप में कार्य करने हेतु प्रवक्ता बनाये जाने, प्रधानमंत्री किसान समूहि केंद्रों (प्रैमकेरस्के) व उर्वरक और कौटनाशकों के छिड़काव के लिए द्वैन उद्घामियों के रूप में भी कार्य करने के निर्णय लिए गए हैं। साथ ही, इन बायोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकेगा। इन प्रयत्नों से किसानों को पैक्स स्तर पर उर्वरक की उपत्यका सुनिश्चित होगी तथा पैक्स के लिए व्यवसाय के नये अवसर सुनिश्चित होंगे।

## 11. पैक्स सार पर PM-KUSUM योजना का अधिसरण

PACS की संरचना वह इनकी गहरी पहुँच, जिसे 13 करोड़ रुपये के अधिक किसान बतार सदस्य छुड़े हैं। का लाभ प्राप्ति सार पर बिकेंट्रीकृत सोर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।

इससे, PACS से जुड़े किसान कृषि डिजिटल पोर्टल पोर्टल सकते हैं एवं अपनी जमीनों की परिषिष्ठ पर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा बुनिहित कर पाएंगे व इससे योजना की पहुँच को अतिम मील तक पहुँचाया जा सकेगा। साथ ही, PACS व उनके सदस्य किसानों को आप के वैल्कालिक स्रोत प्राप्त होगे। इस विषय पर सहकारिता मंत्रालय द्वारा concept note तैयार कर MNRE को भेजा गया और इस प्रस्ताव पर माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा नवी के साथ सचिव (सहकारिता) की बैठक हो चुकी है।

### (ख) सहकारी समितियों के लिए आपकर कानून में शाहत

#### 12. सहकारी समितियों के लिए आपकर पर लगने वाले अधिभार में कटौती

1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आप वाली सहकारी समितियों के आपकर पर लगने वाले अधिभार को कंपनियों के समतुल्य 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। इससे सहकारी समितियों के ऊपर आपकर के भार में कमी होगी जिससे समिति के पास सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूँजी उपलब्ध होगी।

#### 13. सहकारी समितियों पर लगने वाले न्यूनतम बैकलिक कर (MAT) में कटौती

सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम बैकलिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों एवं कंपनियों के मध्य इस क्षेत्र में समतुल्यता आई है। इससे सहकारी समितियों सशक्त होगी एवं सहकारिता का विस्तार होगा।

#### 14. पैक्स और PCARDBS द्वारा नकद जमाराशियों व नकद क्रणों की सीमा में बढ़ोत्तरी

पैक्स तथा प्रायोरिटी सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBS) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद क्रणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दी गई है। इस ग्रावधान से उनकी गतिविधियों में सुगमता आएगी, उनका व्यवसाय बढ़ेगा तथा सदस्यों को लाभ मिलेगा।

#### 15. नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती

31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरम्भ करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की घौटूदा कर दर की तुलना में 15% की स्पात दर से कर लगेगा।

इस प्रावधान से सहकारी समितियों एवं कंपनियों के मध्य इस क्षेत्र में समतुल्यता आई है। इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा मिलेगा।

#### 16. नगद निकासी में ज्ञात पर कर कटौती (TDS) की सीमा में वृद्धि

केन्द्रीय बजट 2023-24 के माध्यम से सहकारी समितियों की सीमा पर कर कटौती किए जिए जिनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए बढ़ाकर की 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों के स्रोत पर कटने वाले कर में बढ़ते होंगे जिसका उपयोग वे अपने सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करने हेतु कर पाएंगे।

#### 17. आपकर अधिनियम की धारा 269(IA) के तहत नगद लेनदेन में राहत

सहकारी समितियों को पहले अपने वितरकों के साथ 'अनुबंध' को एक घटना मानकर उस वितरक के साथ सम्पूर्ण वर्ष में होने वाले सभी लेन देनों में यदि नकद प्राप्ति दो लाख रुपये से अधिक थी तो उसे करयोग मानकर उसपर आपकर पेनल्टी लाग दी जाती थी। आपकर विभाग ने सुरुलर जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि अब सहकारी समितियों का अपने वितरकों के साथ किया गया 'अनुबंध' एक घटना नहीं मानी जायेगी। इस स्थैतिकरण से सहकारी समितियों द्वारा अपने वितरक के साथ किए गए 2 लाख से अधिक के प्रत्येक नगद लेन - देन को अलग माना जाएगा जिससे उनपर आपकर पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे राज्य व जिला दुर्घट संघ बैंकों में अवकाश के दोरेन अपने वितरकों से नकद में भुगतान लेकर सदस्य दुष्प उत्पादकों को नगद में भुगतान कर पायेगे।

### (ग) सहकारी बैंकों को आरही कठिनाइयों का निवारण

18. बिजेस का विस्तार करने के लिए शहरी सहकारी बैंक अब नई शाखाएं खोल सकेंगे।

19. शहरी सहकारी बैंक भी बाणिज्यिक बैंकों की तरह दिए गए क्रण का एकमुश्त निपटन कर सकेंगे।

20. शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग (PSL) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त समय सीमा दी गई है।

21. शहरी सहकारी बैंकों से नियमित संवाद के लिए RBI में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।

22. RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सेवाएं (door-step banking services) प्रदान करने के अनुमति दी है।

23. RBI द्वारा ग्रामीण र शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा दोगुनी से अधिक बढ़ाई गई है।

24. ग्रामीण सहकारी बैंक और गान्धीजीक रियल एस्टेट - रिहाइशी आवास क्षेत्र को ऋण दे सकेंगे जिससे उनका व्यापार वित्तिकरण हो सकेगा।

25. सहकारी बैंकों को CGAMSE के सदस्य क्रणदाता संस्थान [MLU] के रूप में शामिल किया गया है। जिससे अब सदस्य सहकारी बैंक द्वारा पाए ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम (Risk) कवरेज का लाभ ले सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से 5 करोड़ रुपये तक की कोलेटरल मुक्त क्रण मिल सकेगा।

26. सहकारी बैंकों की आधुनिक आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) पर अॉनलाइनिंग के लिए लाइसेंस युल्क को तेन-देन की संख्या से जोड़ कर कम कर दिया गया है। इसके अलावा, सहकारी वित्तीय संस्थानों को पहले तीन महीने के प्री प्रोडक्शन चरण तक निःशुल्क युविधा भी मिल सकेगी। इससे अब घर बैठे बैंकिंग की सुविधा किसानों को उनके फिंगर प्रिंट पर मिल सकेगी।

#### (ए) सहकारी चीनी मिलों का प्रुनरुच्यान

27. सहकारी चीनी मिलों को आपकर से रहत सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उनित और लागाकारी मूल्य अथवा राज्य की सलाह मूल्य तक, गने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आपकर नहीं देना पड़ेगा। इस प्रवधान से सहकारी चीनी मिलों अपने सदस्यों को गवे का उच्चतर मूल्य दे सकेंगी और इस उच्चतर मूल्य के बर्च पर आपकर से कटौती हासिल कर पायेंगी।

28. सहकारी चीनी मिलों के आपकर से संबंधित दशकों पुराने लक्षित मुद्दों का समाधान दशकों से लिखित आपकर सञ्चारी मुद्दों का निवारण करते हुए केन्द्रीय बजट 2023-24 के माध्यम से यह प्राप्तवान कर दिया गया है कि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें लाभग 10,000 करोड़ रुपए की रहत प्राप्त हो सकेगी।

29. सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए NCDC के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना

सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए NCDC को अनुदान सहायता

नाम की एक नई योजना युल्क की है जिसके अंतर्गत भारत सरकार 2022-23 से 2023-24 तक के लिए NCDC को रुपए 1,000 करोड़ का अनुदान दे रही है NCDC इस अनुदान का उपयोग सहकारी चीनी मिलों को रुपए 10,000 करोड़ तक का क्रण प्रदान करने के लिए करेगी। जिसका उपयोग सहकारी चीनी मिलों द्वारा लाने के लिए या कोजेनेशन खाट लाने के लिए या कार्यशील पूँजी के लिए अपवा दीनों कार्यों के लिए कर पाएगी।

30. सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद में वरीयत एवं कोजेन विज्ञी संघर्षों की इथेनोल ब्लोइंग कार्यक्रम के तहत पेटोलियम मंत्रालय द्वारा सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद के लिए निजी कॉर्पनियों के सम्मुल्य रखा जाएगा। गते की लाई (Bagasse/बासा) को जेन विज्ञी संघर्षों की स्थापना पर भी कार्य किया जा रहा है। इन कदमों से सहकारी चीनी मिलों के व्यवसाय का विस्तार होगा एवं लाभ में बढ़ि होगी।

#### (ड) राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राजनीय समितियों

31. निर्णायक के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राजनीय सहकारी समिति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत नई राष्ट्रीय सहकारी निर्णायक लिमिटेड की स्थापना एक अंड्रेला संगठन के रूप में की गयी है जो सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले नियर्णों को बढ़ावा देगी। प्रायमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ तथा बहु-राजनीय सहकारी समितियां शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। किसानों के उत्पादों का नियंत्रित मुल्य होगा एवं उनको उत्पादों के लिये मिलने वाले मूल्य में बढ़ि होगी।

32. प्रमाणित चीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राजनीय सहकारी समिति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना की गई है जो अंड्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन त वितरण करेगी। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियां (प्रायमिक, जिला, राज्य स्तर) भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्य बन सकती हैं। इस समिति से किसानों को उत्तर बीजों की उपलब्धता बढ़ेगी, फसलों की उत्पादकता एवं किसान को मिलने वाले लाभ में बढ़ि होगी।

33. जीविक ढंगी के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राजनीय सहकारी समिति

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी आगोनिक्स लिमिटेड की

स्थापना एक अड्डेला संगठन के रूप में की गई है जो प्रमाणित व प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन का कार्य करेगी। प्रायमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सभ तथा बहु राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, तथा किसान उत्पादक संगठन (FPO) इसके सदस्य बन सकते हैं। इससे जैविक उत्पादों का उत्पादन बढ़ावा एवं किसानों को मिलने वाले लाभ में वृद्धि होगी।

#### (c) सहकारी क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण

##### 34. विश्व के सबसे बड़े सहकारी विद्यालय की स्थापना

सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना भी तैयार की जा रही है। यह विश्वविद्यालय प्रशिक्षित श्रमबल की स्थापी, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ मौजूदा कार्मिकों की क्षमता निर्माण भी करेगा। यह विश्वविद्यालय सहकारिता के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विशेषीकृत विश्वविद्यालय होगा।

##### 35. सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की नई योजना

सहकारी समितियों को मजबूत आर्थिक संस्था बनाने, सहकारी आदोलन को व्यापक और मजबूत करने, वैश्विक एवं एनसीसीटी और जैसीटीसी की faculty का क्षमता निर्माण, सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना, इत्यादि के लिए इस योजना की आवश्यकता है। इस संबंध में, आरंभिक हितधारक परामर्श किए जा रहे हैं एवं अगले तीन माह में योजना बना लिए जाने का लक्ष्य है।

##### 36. एनसीसीटी के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता को प्रोत्तालन

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT), सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्थापत समिति है जो राज्यों/प्रदेशों के सहकारी विभागों के कार्मियों सहित देश भर के सहकारी समितियों के कार्मियों सहित देश भर के सहकारी समितियों के कार्मियों एवं बोर्ड के सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का संचालन यह देश भर में फेले आगे 20 घटक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से करता है। जिसमें वैमनीकाम (वैकून्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान) एक राष्ट्रीय स्तर का सम्यान है। इसके अलावा, पांच क्षेत्रीय स्तर के और 14 राज्य स्तर के सम्यान हैं। NCCT ने वर्ष 2022-23 में सार्वांग देश में सहकारी प्रतिभागियों, कामगारों तथा फेशेवरों के लिए निर्धारित लक्ष्य 1740 प्रशिक्षण कार्यक्रम की तुलना में 3287 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। इसके अलावा इस

अवधि में परिषद ने निर्धारित 43,500 प्रतिभागियों से पांच जुन अधिक यानी लाभग 201,507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। सहकारी समितियों के लिये स्थानीय भाषाओं में व्याख्यायिक विकास योजना (मोजूदा DPRs पर आधारित) NCCT के माध्यम से बनाई जा रही है।

##### (d) नई राष्ट्रीय सहकारी नीति एवं नया राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस

सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने हेतु नई सहकारी नीति बनाने के लिए पूर्ण केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में विभिन्न राज्योंतथा भर से लिए गए विशेषज्ञों वित्तधारकों को शामिल करके 49 सदस्यों की एक बहुआयामी व राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति की अब तक 9 बैठकें हो चुकी हैं, जिनके द्वारा न वित्तधारकों से विस्तृत विवार-विमर्श हुए हैं और नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है।

##### 38. नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक व्यापक प्रमाणिक और अद्वितीय सहकारी डाटाबेस विकसित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है प्रथम चरण के अंतर्गत पैक्स, डेपर्टमेंट एवं मत्स्यपक्षी की लाभग 2.64 लाख समितियों की मैट्रिक का कार्यदिनांक 28 फरवरी, 2023 को पूर्ण हो गया है। द्वितीय चरण में राष्ट्रीय सहकारी समितियों व संघों की Mapping का कार्य किया जा चुका है। तृतीय चरण के अंतर्गत अन्य सभी सेक्टरों की लाभग 5.8 लाख सहकारी समितियों को डेटाबेस में समिलित किया जा रहा है जिसे जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

##### (e) जैम पोर्टल पर सहकारी समितियां बनारे क्षेत्र के रूप में शामिल

39. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जून, 2022 को सहकारी समितियों को गोवर्नेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर बतोर केता" पर्सीफूल होने का अनुमोदन प्रदान किया है। सहकारी समितियां जैम के एकल ऐस्टेक्टर्म से देश भर में उपलब्ध लाभग 60 लाख प्रामाणिक विक्रेताओं से खरीद कर सकेंगी। अब तक 550 से अधिक सहकारी समितियों को जैम पोर्टल पर केता के रूप में ऑन-बोर्ड कर लिया गया है। इसके साथ साथ सहकारी समितियों को जैम पर विक्रेता के रूप में भी पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

## (ii) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार

संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित कर दिया गया। संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट के अनुसार विधेयक पर विचार करने और पारित करने की मूर्छा 22.03.2023 को लोकसभा में दी जा चुकी है। उक्त समूहों के लिए खाली सहकारी और भौगोलिक क्षेत्रों में सहायता देने के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं सहायता देने के लिए डेपर्टमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग और फिनेंशियल सेवाओं की वित्तीय सहायता का संवितरण किया जो कि 2021-22 के संवितरण 34,221 करोड़ रुपए (अनातिम) की वित्तीय अधिक है। सहकारिता क्षेत्र में आवश्यक धन योजना के प्रवाह को बढ़ाने के लिए अगले पाँच वर्षों में NCDC की कार्यदक्षता और भौगोलिक विस्तार को बढ़ाते हुए क्रम संवितरण को बढ़ा कर प्रति वर्ष लाभगत 3 लाख करोड़ रुपए की परिकल्पना है। सभी राज्य एवं राज्यों की सहकारी समितियों NCDC की क्रम योजनाओं का लाभ उठा सकती है।

### (iv) केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का सुदृढ़ीकरण

#### 41. केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण

केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय बहु राज्य सहकारी सोसाइटी (MCCS) अधिनियम, 2002 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने हेतु केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर केंद्रीय पंजीयक कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रवाह के माध्यम से सम्पर्क तरीके से आवेदन और सेवा अनुरोधों की प्रोसेसिंग करने में सहायता करेगा। इसमें ऑटोमी आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, MSCS अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन जांच, VC के माध्यम से सुनवाई, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और अन्य संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने के प्रावधान होगे। कम्प्यूटरीकरण की यह परियोजना एवं MSCS के पंजीकरण में काफी प्रदद करेगी और उनके काम करने की प्रक्रिया में सुगमता प्रदान करेगी।

#### 42. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 भूतानवे संविधान संशोधन के प्रवधानों को समाप्तिकरण करने तथा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने, निर्विचान प्रक्रिया में सुधार लाने, इत्यादि के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने के लिए है। उक्त विधेयक को लोक सभा में दिनांक 7 दिसंबर 2022 को पुरस्कृत किया गया था जिसे दिनांक 20 दिसंबर, 2022 को दोनों सदनों की एक

संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित कर दिया गया। संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट के अनुसार विधेयक को संसद के आगामी मानसून सत्र में विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाना है।

(c) अन्य पहले

43. सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBS) का कम्प्यूटरीकरण दीपर्वाणी सहकारी क्रम संवर्धन के सुदृढ़ीकरण हेतु सहकारिता मंत्रालय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBS) के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना ला रहा है। इसमें विभिन्न घटक होगे जैसे कि हार्डवेयर छार्ट, व्यापक उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) समाधान, डिजिटलीकरण, ग्रामीणकरण और सहायता प्रदान करना, और सॉफ्टवेयर का खरखार आदि। इस योजना में आने वाले खर्चों का 25 प्रतिशत ARDBS द्वारा एवं शेष 75 प्रतिशत केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। कम्प्यूटरीकरण से ARDBS को विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कार्यक्रमालयों में बढ़ि, खरित क्रम संवितरण, लेनदेन दरों में कमी, पारदर्शिता में बढ़ि और भुगतानों के असंतुलनों में कमी इत्यादि।

#### 44. सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड

सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर माननीय उच्चतम चायालय ने दिनांक 29.03.2023 के आदेश में सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., सहारायन पूर्निकर्त्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. और स्टार्स मल्टीपर्सनल कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.) के जमाकर्ताओं के वैध बकाया संवितरण हेतु सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए बहुराज्यीय सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को अंतरित करने हेतु निर्देश दिया। माननीय उच्चतम चायालय के आदेश के अनुपालन में केंद्रीय पंजीयक द्वारा संवितरण के लिए पूर्ण चायाधीश श्री आर. सुभाष रेड्डी एवं अधिकर्ता श्री गोवर अग्रवाल चायामित्र के परवेश और नियासनी में एक पारदर्शी डिजिटल प्रणाली (पोर्टल) को विकसित करने के लिए स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मेनेजमेंट सर्विसेज लि. (SDMSL) की सेवाएं ली गई हैं। केंद्रीय पंजीयक द्वारा रिफंड प्रक्रिया के परिक्षण हेतु उपर्युक्त प्रत्येक समिति के लिए चार विशेष कार्यालयकारियों (OSDs) को भी नियुक्त किया गया है। पोर्टल के माध्यम से ग्रामांशिक जमाकर्ताओं को पारदर्शी सेवा से उचित पहचान एवं उनकी जमाराशियों व दावों के साक्ष देने पर भुगतान संबंधित बैंक खाते में क्रिया जाएगा। केंद्रीय पंजीयक कार्यालय शीघ्र ही इन समितियों के निवेशकों को रिफंड हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा देने के लिए शीघ्र ही प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाला है।

#### 45. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण

की घोषना

सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी समितियों के लिए व्यापार में सुगमता बढ़ाने एवं प्रारदर्शी प्रदर्शन पर हित विनियमन का एक डिजिटल इकामिस्ट्री सभी राज्यों/संघ प्रदेशों में बनाने के लिए राज्य

पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की पोजना की रूप रेखा तैयार की जा रही है। इस पोजना के अंतर्गत विकसित संचालन प्रदेश, संबंधित राज्य/संघ प्रदेशों के सहकारी अधिनियम पर आधारित होगा।

इस पोजना को बनाने के लिए व्यापार मध्ये राज्यों/संघ प्रदेशों के पंजीयकों से संबंधित कार्यालय के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। और जल्द ही इसको एक केंद्र प्रापोजित पोजना के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा।

\*\*\*

कार्यालय	आयुक्त	पत्र	निदान	सहकारिता	उमे
प्रांक नं. २०७ / फॉर्म			टिनाका १६ जून २०२३		

पंजीयक अध्यात्म / संघित  
वक्तु-उद्देशीय प्राचीन सहकारी समिति (शी-पैसा)

सारत जनपद, उमा०।  
द्वारा - सहकारी अमुका एवं सहकारी निवन्धक सहकारिता उमा०।

आपको यह कहते हुए मुझे बहुत हँस हो रहा है कि भारत सरकार एवं संघ सरकार द्वारा शी-पैसा का सुदूरोक्तरण कर प्राचीन कानूनों और अधिक प्राचीन कानूनों से बोल्ड उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से तिनिने प्राचीनों एवं साठों के साथ सार्वजनिक व्यापार करने एवं अपने व्यवसाय का विविधरूप करने के लिए गाड़ल बालाज आपको प्रेषित किया गया था, जो आशा है कि आप द्वारा गति-गति अव्ययन किया जा चुका होग। आपकी समिति द्वारा अंगीरूप किये गये माडल बालाज के अनुसार समिति तिनिने विक्रीकरण चलाया करने के लिए तयार है।

#### 1. सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में बहुदेशीय पैक्स

पोजना के बारे में सामान्य सेवा केंद्र (शीएससी) कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एपीईआईटीवाई), गोप्ता सरकार की एक फैल है। शीएससी भारत में गोप्ता में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के वितरण के लिए एकत्र विद्युत, डिस्ट्री डिजिटल और तितिय रूप से समावेशी समाज का निर्माण होता है।

CSC के रूप में पैक्स सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही, पैक्स के माध्यम से सामान्य जन को 300 से अधिक रेखाएँ उपलब्ध जाएंगी। इसके लिए गोप्ता सरकार की तरफ से CSC&SPV को नामित किया गया है जो समिति के सहयोग से ID Creation का कार्य कराएंगी।

अब तक 4349 पैक्स का डाटा White List किया जा चुका है तथा 1140 पैक्स की ID क्रिएशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। CSC ID के माध्यम से पैक्स अपने सदरमो तथा जन सामान्य को 300 से अधिक दैनिक सेवाओं को प्रदान कर सकेंगे।

#### 2. जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (प्रैरणवीजेपी) फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा जनता को सरसी कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करने के लिए शुरू किया

पर्याएक अभियान है। प्रधानमंत्री भारतीय जन-जनोपनिषद केन्द्र जेनरिक दलपर उत्तम्य करने के लिए साधारित किए गए हैं, जो कम कीमति, मुफ्तवसा और प्रभावकारीता के मापदंडों पर आधारित दलाओं के बराबर हैं।

हेंड रसेनर द्वारा 2000 फैस की जान ओपनिंग केंद्र के आम से खोलने की अनुमति दी गयी। प्रधान मंत्री भारतीय जन ओपनिंग केंद्र खोलने के लिए व्यक्तिगत आवेदनों के लिए पात्रता पांडित श्री फार्म/की फार्म होना है जिन ओपनिंग केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 वर्ष छोट जगह या तो निजी व्यापारिक वाली या क्रियो पर उपलब्ध होनी चाहिए। हेंड के लिए आवेदन शुल्क 5,000 रुपये है। फैसा स्थानीय रसर पर दामक कर आवेदन कर सकते हैं।

3. उचित मूल्य को दुकानों के रूप में पेस्स

उमित मूल्य दुक्कने सार्वजनिक वितरण गोजना (डीडीएस) के तहत उमित मूल्य पर वस्तुओं का वितरण करता है। ऐसा नियमित अंकिता पूर्ण करने की दशा में उमित

#### 4. पैक्स पेट्रोल पंप के रूप में

उनिंत मूल्य दुकान खोलने के लिए सज्जा बरकार की खाद एवं नागरिक आवृति द्वितीय द्वारा स्थानीय रसायन पर आवेदन आमंत्रित करता है। उनिंत मूल्य की दुकान (FMS) डीलरशिप के लिए आवेदन पर अपने लिंगे के कंटेस्टर/लिंगा पूर्ति अधिकारी के संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पर को पूरा कर के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके नामित प्राधिकारी को जमा कर सकते हैं।

## 5. एलपीजी सिलिंडरों के वितरक के रूप में पैक्स

एतमिंजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के अहंता पृष्ठ करने की दशा में पैसा (के) विशेषता नीज रही। इस दशा में आदेन पॉर्ट वेसाइट [www.loc.com](http://www.loc.com) [www.ebharaatgas.com](http://www.ebharaatgas.com) [www.bharatpetroleum.in](http://www.bharatpetroleum.in) और [www.hindustanpetroleum.com](http://www.hindustanpetroleum.com) पर उल्लेख होता जिसे अधिनियम दिया जा सकता है। एतमिंजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए शाम समझारे समय-समय पर आवश्यकतानुसार आदेन आग्रहित करती है। PACS के लिए इनियरिंगों को अभी अधिसूचित किया जाना चाही है।

6. प्रधान मंत्री किसान समूह केंद्र के रूप में प्रेक्षण

**प्रायानंगी** किसान समृद्धि केंद्र (परिवर्करसन) देश में किसानों की जलसती को पूरा करेगा और इसी बीज और उत्पादकों के लिए परिवर्ण सुविधाओं सहित कृषि-इन्डस्ट्रीज (खेतरकी बीज, उपकरण) प्रदान करेगा। ये केंद्र किसानों में जागरूकता पैदा करने वे भी गदद करेगे। किसान समृद्धि केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे।

7. गोबर धन योजना के तहत किए गए जावक खाद के प्रमाणिक के लिए मैं पक्षी

पेट्रल को अहंता पूर्ण करने की दशा में खुदरा पेट्रोल पाने के आवंटन में विशेषता दी जाएगी। ऐस्टर रेटक्रोता सोनानी और चिलाड़ी श्रेणी के साथ चम्पक श्रेणी 2 के अंतर्गत आयेंगे। इस संक्षेप में समर्पित जीनकारी वेबसाइट [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर उपलब्ध है। यहां के लिए दिशानिर्देश(टिप्पेचिक) भी वेबसाइट [www.Petrolpumpdealerchayan.in](http://www.Petrolpumpdealerchayan.in) पर उपलब्ध है। अधिकतम शक्ति शीत्र में कम से कम 30m x 30m तथा अच्युत फ्लोरों में कम से कम 35m x 35m की गुणि इस संक्षेप में अन्य गतों के साथ होना आवश्यक है।

रवच भारत मिशन-ग्रामीण दिवानिदेशों के अनुरूप एसएलडब्ल्यूएम (सालिड एफ लिकिड बेस्ट मीजेजेट) फिडिंग सेटन का उत्थोग करके कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है। एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिए रवच भारत मिशन-ग्रामीण के तहत कुल सहायता की गणा प्रत्येक ग्राम पंचायत में परिवारों की कुल संख्या के आधार पर की जाती है, जो

150 घरों तक की ग्राम पंचायत के लिए अधिकारिम 7 लाख रुपये, 300 तक 12 लाख रुपये, 500 घरों तक 15 लाख और 500 से अधिक घरों वाले जीपी के लिए 20 लाख रुपये तक होते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत एसएलज्वर्याएम परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मौजूदा फॉर्मूले के अनुपात में फंडिंग जारी रहेगी।

### 8. बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के तहत जैव-कार्बनिक ऊर्जाकों के थोक विक्रेताओं/द्वारा विक्रेताओं के रूप में पैक्स

सरकार के लिए नियर्त प्रोत्साहन एक प्रमुख क्षेत्र है। नियर्त पर जोर देने के साथ मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थिति को देखते हुए और देश के नियर्त व्यापार को प्रोत्साहित करने और विविधता लाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों को सुविधाजनक बनाने के लिए, विषय विकास सहायता (एमडीए) योजना चल रही है। इस योजना के तहत जनपद के अन्य पैक्स की विक्रेता के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस संदर्भ में सार्वजनिक उर्वरकों के थोक विक्रेता के रूप में तथा जनपद के अन्य पैक्स द्वारा विक्रेता के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस सदस्य के रूप में भी पैक्स अपना योगदान कर सकते हैं। नियर्त सहकारी समिति के सदस्य के रूप में भी पैक्स अपना योगदान कर सकते हैं।

### 9. किसान ड्रोन योजना के तहत पैक्स ड्रोन ऑपरेटरों के रूप में पैक्स

इस योजना के तहत किसानों को किरणे के आधार पर ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, सहकारी समिति, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों को ड्रोन की खरीद के लिए नियर्त सहायता अधिकारिम 4.00 लाख रुपये का 40 प्रतिशत प्रदान किए जाते हैं।

### 10. पैक्स कम्प्यूटरीकरण

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियाँ (PACS) देश में विस्तृत अस्थाकालिक सहकारी ऋण (STCC) समितियाँ हैं जिसमें देश के लगभग 13 करोड़ सदस्य शामिल हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

PACS देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए KCC ऋणों का 41 प्रतिशत (3.01 करोड़ किसान) खाता है और PACS के माध्यम से इन KCC ऋणों (2.95 करोड़ किसानों) का 95 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के लिए है।

अन्य दो घरों अर्थात् राज्य सहकारी बैंक (यूपीरिशी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (झीरीसीबी) को पहले ही नाबाह द्वारा कोंगन बैंकिंग संस्पर्शवर्ष (सीबीएस) पर लाया जा चुका है, हालाँकि, अधिकांश पैक्स अब तक काष्टटरीकृत नहीं हुए हैं और अभी भी ऐसुआल रूप से कार्य कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अक्षमता और विवास का अमाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। ऐसे में पैक्स का कम्प्यूटरीकरण, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (एसप्रमपक) को सेवा वितरण को मजबूत करने के अलावा, विभिन्न सेवाओं जैसे उर्वरक, बीज आदि के वितरण में पारदर्शिता हेतु आवश्यक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में मुश्वर के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ

DCCB तब विभिन्न सरकारी योजनाओं (जहां कैटिट और संविधानी शामिल हैं) को लेने के लिए महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक के रूप में खुद को नामांकित कर सकते हैं, जिन्हें PACS के मध्यम से लागू किया जा सकता है।

यह ऋणों का व्यवस्थित निपटान, कम संक्रमण लागत तेजी से लेखाप्रिया और राज्य के साथ भुगतान और लेखा में असंतुलन में किसी सुनिश्चित करेगा। वर्तमान में पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन की योजना संचालित है जिसके तहत आगामी तीन वर्षों में सभी पैक्स ने कम्प्यूटराइजेशन किया जाना है। इसके सम्बन्धित व सुरक्षित उपयोग के साथ ही हार्डवेयर की सुखा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

### 11. बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में पैक्स

बैंकिंग कॉर्सेपोडेंट (बीसी) वे व्यक्ति/संस्थाएं हैं जिन्हें भारत में किसी बैंक द्वारा बैंकिंग कॉर्सेपोडेंट (बीसी) वैकिंग भौगोलिक क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एक बैंकिंग कॉर्सेपोडेंट बैंक के एक एंजेंट के रूप में काम करता है और बैंक की भौतिक एवं मूल शाखा के लिए स्थानापन करता है।

#### बैंकिंग कॉर्सेपोडेंट के कार्य:

- ❖ उधारकर्ताओं की पहचानय प्रायोगिक जानकारी/डेटा के सत्यापन सहित ऋण आवेदनों का संग्रह और प्रारंभिक प्रसंस्करण
- ❖ बचत और अन्य उत्पादों और शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना और धन प्रबन्धन और ऋण प्राप्तमर्श पर सलाह देना

### 13. ऑपरेशन ग्रीन

- ❖ बैंकों को आवेदनों का प्रसंकरण और प्रस्तुतीकरण
  - ❖ स्वयं सहायता समूहों/समुदाय देखता समूहों/ऋण समूहोंअन्य का प्राचार, पोषण और निपासनी,
  - ❖ मंजूरी के बाद की निपासनी,
  - ❖ रिक्विरी के लिए फॉलो-आप,
  - ❖ छोटे मूल्य के ऋण का संवितरण,
  - ❖ मूलधन की वसूलीभ्याज की वसूली
  - ❖ छोटे मूल्य की जमानाशियों का संग्रह
  - ❖ सूझम वीमानयुक्ताल फ़िट उत्पादों/पेशन उत्पादों/अन्य तीसरे पद के उत्पादों की बिक्री,
  - ❖ छोटे मूल्य के प्रेषण/अन्य युग्मता लिखतों की प्राप्ति और सुमुद्री
  - ❖ बैंकिंग कंसेप्टोंडेर के रूप में पैक्स के कार्य करने से जहाँ आखरी पायदान पर खड़े अवित तक बैंकिंग सुविधाओं को पकुवाया जा सकेगा वही पैक्स को अतिक्रम आय भी प्राप्त होगी।
- 12. पीएम किसान सम्पदा योजना में पैक्स**
- केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंकरण मंत्रालय के में पैक्स के लिए एक घटक है।
- सम्पह केंद्र और प्राथमिक प्रसंकरण केंद्र (पीसीसी):** इन घटकों में सफाई, ग्राउंड, छंटार्ड और रिकिंग, पूखे गोदानों, श्री-कृतिंग चौबर्सी राहित विशेष कॉल्ड स्टोर, पक्के वाले चैंबर, रीफर बैन, गोबैक्स श्री-कृतर, नोबैक्स ल संग्रह वैन आदि की युक्तियां हैं।।
- स्थापना लागत :** एक प्राथमिक प्रसंकरण केंद्र 30 लाख से 1.00 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1 से 2 एकड़ में स्थापित किया जा सकता है। एफपीओ सदस्यों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और बाकी 75 प्रतिशत बैंक ऋण लेकर लाने की जरूरत है।
- सक्षिक्षी लागत :** एक एफपीओ निर्माण और संयंत्र और मशीनरी की लागत पर अधिकतम 33.33 प्रतिशत की दर से सक्षिक्षी प्राप्त कर सकता है।

TOP किसानों की मूल्य प्राप्ति बढ़ाने के लिए कटाई के बाद के जुकामान में कमी द्वारा उत्पादकों और उपचारकों के लिए मूल्य स्थिरीकरण की योजना है।

एज्ञ कृषि राष्ट्र, सज्ज विष्णन राष्ट्र, किरान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सहायी समितियां, खाद्य सहायता समूह (एसएचजी), कंपनियां, खाद्य प्रोसेसर, साद संचालक, सेवा प्रवाता, आपूर्ति शृंखला संचालक, युद्धा शृंखला, थोक शृंखला, केंद्र सरकार ( केंद्र सरकार के तहत संस्थाओं/संगठनों सहित) और सज्ज सरकारें (एज्ञ सरकार के तहत संस्थाओं/संगठनों सहित) योजना के तहत विशेष सहायता प्राप्त करने के लिए पत्र होगी।

लापू करने के लिए तीन घटक एकीकृत मूल्य शृंखला विकास, एंडाइलोन प्रेस्ट-हालेट इंकार्टर्क्टर प्रोजेक्ट और युग्मता उत्पादन खाद्य प्रसंकरण मंत्रालय के संपदा फोटेल (<https://sampada.mofpi.gov.in/>) पर जमा किया जाना है।

### 14. एफपीओ के रूप में पैक्स

10,000 नए एफपीओ का गठन और संवर्धन योजनालू कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें 6865 करोड़ रुपये का परिवर्त्य है। NABARD, SFAC, NAFED आदि नौ कार्यालय एजेंसियां हैं। प्रत्येक FPO को 5 वर्ष की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

300 के चूनतम किसान-सदस्यों के आकार वाले एफपीओ मैदानी क्षेत्रों में योजना के तहत पत्र होंगे, जबकि उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों (यूटी के ऐसे अन्य क्षेत्रों सहित) में 100 के आकार के पत्र होंगे।

एफपीओ उपज के प्रसंकरण, ब्रॉडिंग और विष्णन/कर्सुओं के व्यापार की आवश्यकता के आधार पर जिला स्तर और सज्ज स्तर पर संघ बना सकते हैं।

बी-पैक्स के बाइलाज के प्राविधिन संख्या 72(1) के तहत प्राविधिकानित है कि समिति आम बैठक में उपरित और मतदान करने वाले बहुमत सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसान उत्पादन संगठन(एफपीओ) जैसे सम्बद्ध सांगठनों को अपनी उत्तिष्ठित उद्देश्यों का आगे बढ़ाने के लिए 100 प्रतिशत वित्त पोषण के माध्यम से प्रोत्साहित कर सकती है और

आग निकाय की स्तरीकृति पर ऐसे सामाजिकों को लकड़ीन लाए किसी कानून के तहत पर्याप्त किया जा सकता है।

#### 15. गंगा सहकार योजना को विकास करने के लिए सहकार भारती के साथ पैक्स भागीदार के रूप में

केंद्र सरकार की अर्थ गंगा(Earth Ganga) नामी गंगा योजना का एक प्रत्यक्ष है जिसे जल शक्ति प्रयोगीता के तहत संचय गंगा के लिए सहार्दीय नियन्त्रण द्वारा कार्यवित किया गया है।

इस योजना का लक्ष्य यूनिवर्सल प्राफिल क्षेत्री को बढ़ावा देना कीवर्ड और अपशिष्ट जल का गुरुद्वितीय तथा पुनः उपयोग, आजीविका सृजन के अवसर पैदा करना, सार्वजनिक योजना में वृद्धि करना, गंगा की सांस्कृतिक विवरता और प्रयोग को बढ़ावा देना और योजनादारी में वृद्धि करना है। इसके तहत जल योजना के विवरता को बढ़ावा देने के लिए सहकार भारती 75 सहकार ग्राम विकास को बढ़ावा देने के बहतर जल शासन को स्थापित करना है। इसके तहत जल योजना के विवरता को बढ़ावा देने के ग्राम पर्यावरणों की गई है। प्राकृतिक खेती और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकार भारती 75 सहकार ग्राम विकास को बढ़ावा देने के बहतर जल शासन को स्थापित करना है।

#### 16. पीएम-कुसुम के तहत पैक्स को समर्थन

प्रधानमंत्री किसान उन्नी सुरक्षा एवं उत्थान नामियान योजना किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पाप स्थापित करने के लिए सहिती देने की योजना है। प्रत्येक किसान को नियन्त्रक और पांच सेट स्थापित करने के लिए 60 प्रतिशत सहिती प्राप्त होगी। सरकार से उपर के रूप में कुल लागत का 30 प्रतिशत भी मिलेगा।

#### 17. पीएम-ईजीपी के तहत पैक्स को समर्थन

प्रधान मंत्री योजना कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत सरकार समर्थित केंटिट-लिंक सहिती योजना है। इस योजना के तहत, लाभार्थी सरकार से परियोजना लागत का 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक की सहिती प्राप्त कर सकते हैं। पीएमईजीपी यूप, लघु और मध्य उद्यम गंतव्यता की एक पहल है और इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केंद्रीय आईपी) द्वारा योजना के रूप में, पीएमईजीपी आपको एक नई परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दे सकता है।

#### 18. सार्वजनिक सहकारी समिति

इस समिति के पठन का लक्ष्य सहकारी समितियों के सभी ज़िलों के नेटवर्क का उपयोग करके वीज प्रतिस्थापन दर, प्रजाति प्रतिस्थापन दर को बढ़ावा देणा तथा बृद्धि के लिए वीज किसान के परिषद में दिसानी की भूमिका सुनिश्चित करना, एकत्र ग्रांड नाम के साथ प्रभागित कीजो का उत्पादन और वितरण करना है।

PACS वर्षाना में 1000 लाख प्रति घोर और 500 लाख के पंजीकरण युल्क अदा कर गती-स्टेट सीड सोसाइटी की सदस्यता प्रदेश का सकला है। सदस्यता प्रदेश करने के फलस्वरूप जल्दी पैक्स के सदस्यों को उन्नत वीज प्राप्त हो सकता, वही स्थानीय सरल प्रदेश सहित वीज को सार्वजनिक व अन्तर्राष्ट्रीय सरल के मार्केट उपलब्ध हो सकता। वित्त को वारिक लाभाश भी प्राप्त हो सकता।

#### 19. सार्वजनिक सहकारी समिति

समिति के गठन का लक्ष्य तकनीकी सहायता और सामान नियन्त्रण के माध्यम से जैविक खाद्य उपचार सीखने में किसानों की सहायता करना तथा जैविक उत्पादों की व्हाइंग और प्रमाणन में सहायता करना है।

PACS वर्षाना में 21000 लाख प्रति घोर और 500 लाख के पंजीकरण युल्क अदा कर उक्त महती-स्टेट ऑर्गेनिक सोसाइटी की सदस्यता ले सकता है।

इन महत्वपूर्ण कार्यों से बी-पैक्स की आय में वृद्धि होगी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भी अवसर बढ़ो तथा जैविक खाद की उपलब्धता की दशा में किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ उन्मुख होने में सहायता होगी।

#### 20. एआईएफ

##### Pilot Project of World Largest Grain Storage Plan in

##### Cooperative Sector

World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector योजना सहकारिता नियन्त्रण भारत सरकार द्वारा सहकारी समितियों को समरूप बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।

यह योजना 11 प्रदेशों में संचालित है इसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेश में एक ऐसी वी पैक्स जिसके पास कम से कम एक एकड़ भूमि उपलब्ध हो, को पारालट प्रोजेक्ट के रूप में समिलित है। इस प्रोजेक्ट को 100 दिन में पूरा किया जाना है।

यह पैक्स के लिए एक इन्टीग्रेटेड मैडशूलर प्रोजेक्ट है, जिसके अन्तर्गत करस्टम हाइरिंग सेन्टर, प्रैल्युरेमेंट सेन्टर, प्राइमरी ग्रेसेसिंग यूनिट तथा साइलो, स्टोरेज आदि समिलित हैं। इस प्रोजेक्ट को 100 दिन में पूरा किया जाया गया है।

जो 30 में जनपद मिर्जापुर की बी-पैक्स कोटवा पांडेय, विकास खण्ड- पटेहा कलों का चयन किया गया है। जिसमें 1400 मीट्रिक टन का गोदाम, एक करस्टम हायरिंग सेन्टर तथा धर्मकांट( Weigh Bridge Cabin) समिलित है। इसकी कुल प्रोजेक्ट कार्ट रूपये 194.27 लाख है जिसमें पैक्स का योगदान(मार्जिन मनी) रूपये 38.85 लाख (20 प्रतिशत), टर्म लोन रूपये 155.42 लाख होंगे।

नावार्ड की AMI खरीद के अन्तर्गत गोदाम के लिए रूपये 14.24 लाख की कैपिटल समिक्षी तथा कृषि विभाग की SMAM योजना के अन्तर्गत रूपये 6.75 लाख कैपिटल समिक्षी प्राप्त होंगी।

इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार की कृषि अवधारणा निधि योजना के अन्तर्गत जिता सहकारी बैंक मिर्जापुर द्वारा र्में लोन रूपये 155.42 लाख 01 प्रतिशत ब्याज पर प्रदान किया गया है।

प्रोजेक्ट का कार्य भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नैबकान्स द्वारा किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट हेतु डी.पी.आर. भी नैबकान्स द्वारा तैयार की गयी है।

उक्त प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के पश्चात एफओसीआई द्वारा आखवासन दिया गया है इस योजना के अन्तर्गत पैक्स द्वारा निर्मित 1000 मीटर<sup>2</sup> का स्टोरेज/ साइलो एफओसीआई द्वारा कियाये पर ते लिया जाएगा जिससे पैक्स को बैंक द्वारा लिये गये ऋण की ईएम आई का भुगतान आसान हो जाएगा।

इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने से स्थानीय क्षेत्र की भाग्यरण क्षमता बढ़ जाएगी, परिणामतः किसानों की उपज सुरक्षित हो सकेंगी तथा किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगा। इस योजना से समर्पित पैक्स का लाभ भी बढ़ जाएगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार में भी बढ़िद होंगी।

यह प्रोजेक्ट भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदेश के साथ जनपदों में चूनातम 02 बी-पैक्स में जिनके पास पर्याप्त स्वयं की भूमि उपलब्ध हो, प्रस्तावित है।

### **कृषि अवधारणा निधि योजना**

यह योजना फसलोपरान्त हानियों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गयी एक ब्याज उपादान में छूट की योजना है। इस योजना की अवधि 2020-21 से 2032-33 तक है।

इस योजना हेतु आनलाइन आवेदन agriinfra.dac.gov.in पर किया जा सकता है। इस प्रयोग सरकार के कृषि विभाग द्वारा एओआईएफ० योजना को और प्रायांत्री रूप से क्रियान्वयन करने हेतु 07 दिसम्बर, 2021 को आल निर्म रूपक समिक्षा विकास योजना सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। यह ब्याज उपादान अवधि अधिकतम 07 वर्ष है। CGTMSE योजना के अन्तर्गत रुपये 05.00 करोड़ के रुपये तक) उपलब्ध है।

ज्यामा सरकार के कृषि विभाग द्वारा एओआईएफ० योजना को और प्रायांत्री रूप से क्रियान्वयन करने हेतु 07 दिसम्बर, 2021 को आल निर्म रूपक समिक्षा विकास योजना लागू की गयी है। उक्त योजना के तहत-कृषि उद्यमी, एफओआई, पैक्स, मर्जी समितियां, राज्य एजेन्सी जैसे-एफओआई, एसडब्ल्यूसी०, पीसी०एफ०, सी०डब्ल्यूसी० इत्यादि शामिल हैं।

योजना के तहत उपरोक्त वर्गित पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज उपादान प्रदान किया जा रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत पैक्स हेतु ऋण 01 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध है।

इस योजना में कृषि एवं उद्यान विभाग की अधिकारीय योगदान समिलित है। कृषि विभाग की पी.एम. कुमुम बी एड सी कम्पोनेंट (सोलर पाय), कृषि यंत्रीकरण के लिए सर्वभिन्न योजना-करस्टम हायरिंग (कम से कम चार कृषि घर) तथा उद्यान विभाग में प्राइमरी ग्रेसेसिंग यथा प्लॉटर मिल, दाल मिल, तेल मिल आदि से समर्पित समर्प योजनाएँ, छाट्ट, ग्रेडिंग व पैकेजिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज एवं कोल्ड चेन, बनाना गाइपलिंग चैम्बर इत्यादि। एओआईएफ० योजना में गोदाम बनाकर नावार्ड की कृषि विपणन संरचना (AMI) योजना के अन्तर्गत समिक्षी प्राप्त की जा सकती है।

यह योजना एक टाप-अप स्कीम है जिसमें ब्याज उपादान के साथ साथ सम्बद्धि विभागों में चल रही योजनाओं की कैमिटल साक्षियों भी प्राप्त की जा सकती है।

तथापि 800 पेट्रस के प्रस्ताव इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत किये जा चुके हैं इसमें से 799 पेट्रस को ऋण दिलाया दिया जा चुका है।

अतः पेट्रस भी इस योजना का लाभ हठाने के लिए ५० आईफॉन के आन लाइन पोर्टल [agrinfra.dac.gov.in](https://agrinfra.dac.gov.in/) पर आवेदन कर सकते हैं।

**कृषि प्रधानमंत्री द्वारा दिलाया जाने वाला भारत सरकार की योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-**

<b>4. परियोजना का नाम</b>	<b>कृषि अत्यधिकारी निवृत्ति (एमार्टफ)</b>
गोडल शिवाय / मंत्रालय	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
परियोजितों :-	साइटो, भृष्टार पुह, प्राइमरी ग्रोप्रोजेक्ट खनिट।
परियोजना की लागत :-	200.00 लाख।
मालिन मनी :-	20 प्रतिशत।
ब्याज अनुदान :-	भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एवं सञ्चय सरकार द्वारा प्रदत्त 3 प्रतिशत।
ऋण शुगालन की अवधि :-	7 वर्ष।
पोर्टल	<a href="https://agrinfra.dac.gov.in/">https://agrinfra.dac.gov.in/</a>
आवेदन कैसे करें	<a href="https://agrinfra.dac.gov.in/Content/video/Agri_pro_Hindi.mp4">https://agrinfra.dac.gov.in/Content/video/Agri_pro_Hindi.mp4</a>

<b>3. परियोजना का नाम</b>	<b>SUB-MISSION ON AGRICULTURAL MECHANIZATION (SMAM)</b>
गोडल शिवाय / मंत्रालय	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
परियोजितों	हाई टेक मशीनरी, हवा, फार्म मशीनरी।
परियोजना की लागत	हाई टेक मशीनरी के लिए 250 लाख तथा कर्तम उत्पादन सेटर के लिए 60 लाख।
मालिन मनी	भारतीय निधि बैंक के नियमों के अनुरूप।
साक्षियों	40.0 प्रतिशत अधिकारी कर्सम हायरिन फैसल हेतु 24 लाख हाईटेक मशीनरी हेतु 100 लाख।
पोर्टल	<a href="https://agrinachinery.nic.in/">https://agrinachinery.nic.in/</a>
आवेदन कैसे करें	<a href="https://agrinachinery.nic.in/Files/CHC.pdf">https://agrinachinery.nic.in/Files/CHC.pdf</a> <a href="https://midhi.gov.in/">https://midhi.gov.in/</a>

<b>4. परियोजना का नाम</b>	<b>एकीकृत बागवानी विकास योजना (एमआर्डीएच)</b>
गोडल शिवाय / मंत्रालय	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
परियोजितों	कोल्ड रेलेज, पैक बूनिट, कूलिंग चैम्बर।
मालिन मनी	20 प्रतिशत।
साक्षियों	35.0 प्रतिशत साधारण शब्दों वे 50 प्रतिशत परीक्ष त अधिकृत शब्दों में।
पोर्टल	<a href="https://midhi.gov.in/">https://midhi.gov.in/</a>

<b>आवेदन कैसे करें</b>	<a href="https://midh.gov.in/PDF/midh(Hindi).pdf">https://midh.gov.in/PDF/midh(Hindi).pdf</a>
<b>6. परियोजना का नाम</b>	प्रधानमंत्री सूख साध उद्धम उन्नयन योजना (प्रिएप्परफरमाई)
<b>गोड़ल विभाग / ग्रामालय</b>	साधाय एवं प्रसरणकरण मन्त्रालय भारत सरकार।
<b>प्रतिवेदियों</b>	राज्य सिल अटा वर्करी, एक्सिग बुनिय।
<b>नमूनातय उपलब्धीकरण</b>	100 लाख
<b>अनुमति</b>	न्यूनतय तौर पर्याप्त ओडिओवीडी के तहत प्रदूषक स्ट्रेस।
<b>पारिन मनी</b>	10 प्रतिशत
<b>साइबरी</b>	35 प्रतिशत डिस्क लिंक प्राइवेट
<b>पोर्टल</b>	<a href="https://pnmsite.mofpi.gov.in">https://pnmsite.mofpi.gov.in</a>
<b>आवेदन कैसे करें</b>	<a href="https://pnmsite.mofpi.gov.in/Downloads &gt; User Manuals &gt; Application Submission Hindi/English">https://pnmsite.mofpi.gov.in/Downloads &gt; User Manuals &gt; Application Submission Hindi/English</a>
<b>7. परियोजना का नाम</b>	प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनाप्रिएप्परफरमाई
<b>गोड़ल विभाग / ग्रामालय</b>	साधाय प्रसरणकरण उद्योग मन्त्रालय भारत सरकार।
<b>प्रतिवेदियों</b>	फूल ट्रैटिया लैब, कोल्ड ब्रैन रिसर्च, प्रिकेन्स यूनिव्यूर बार्डसी बारू,
<b>परियोजना की लागत</b>	पाइकॉक, पांचकटा।
<b>पारिन मनी</b>	1000 लाख।
<b>साइबरी</b>	प्राइवेट आप्लिकेशन सरयना— 35 प्रतिशत।
<b>पोर्टल</b>	पोर्टल एक्सिग तथा प्रसरणकरण आप्लिकेशन सरयना 50 प्रतिशत।
<b>8 परियोजना का नाम</b>	प्रधानमंत्री कुसुम योजना
<b>गोड़ल विभाग / ग्रामालय</b>	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संचालन
<b>प्रतिवेदियों</b>	सौर पंच ग्रिड और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना योजना में तीन घटक शामिल हैं:
<b>घटक</b>	घटक: 10,000 मेगावॉट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड नज़ारेड रिन्यूएवल पवर ज्लाट्स के अलग-अलग ज्लाट साइज 2 मेगावॉट तक।
	घटक भी: 7.5 एचपी तक की व्यक्तिगत पंच क्षमता के 17.50 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पर्सों की स्थापना।
	घटक सी: 7.5 एचपी तक की व्यक्तिगत पंच क्षमता के 10 लाख

<b>साइबरी</b>	सिड से जुड़े कृषि पंचों का सोलरइंजेशन।
<b>पोर्टल</b>	60 प्रतिशत तक
<b>आवेदन कैसे करें</b>	<a href="https://pnkusum.mnre.gov.in/Landing.html">https://pnkusum.mnre.gov.in/Landing.html</a> <a href="https://mnre.gov.in/solar/schemes/Menu&gt;Schemes&gt;Solar&gt;Solar_Offgrid_schemes&gt;PM_KUSUM&gt;Implementation_guidelines">https://mnre.gov.in/solar/schemes/Menu&gt;Schemes&gt;Solar&gt;Solar_Offgrid_schemes&gt;PM_KUSUM&gt;Implementation_guidelines</a>

<b>8. परियोजना का नाम</b>	साईरी डेवरी विकास कार्यक्रम(नपीडीडी)
<b>गोड़ल विभाग / ग्रामालय</b>	पशुपालन एवं डेवरी विभाग।
<b>प्रतिवेदियों</b>	दूध और प्रयोगशाला, प्रमाणीकरण एवं गुत्योक्तन।
<b>परियोजना की लागत</b>	4 लाख।
<b>पारिन मनी</b>	10 प्रतिशत।
<b>साइबरी</b>	20 रु 90 प्रतिशत।
<b>पोर्टल</b>	<a href="https://dahd.nic.in/">https://dahd.nic.in/</a>

**अंदेन कैसे करें** <https://pib.gov.in/PressReleaseShare.aspx?PRID=1778929>


**नोट :-** उक्त योजना के तहत यूपी० काफोनेट वी में आता है तथा सहकारी समितियों को योजना में अंकित होने अवधान अंडिट के साथ प्रजारित नेटवर्क मी होना चाहिए।

<b>9. परियोजना का नाम</b>	डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डिआईडीएफ)
<b>गोडल निमाय / प्रबन्धन</b>	पशुपालन एवं डेयरी निमाय।
<b>परियोजना की लागत</b>	मिल्क बिल्डा, इलेक्ट्रॉनिक्स दुध जांच उपकरण, गिल्क प्रोसिपिंग प्लॉट।
<b>मार्जिन राशि</b>	निर्धारित नहीं है।
<b>पोर्टल</b>	20 प्रतिशत।
<b>नोट :-</b> सहकारी समितियों का इस योजना में अंकित होने पाजित नेटवर्क के साथ लाभ में होना चाहिए।	<a href="https://dahd.nic.in/">https://dahd.nic.in/</a>
<b>10. परियोजना का नाम</b>	ग्राहिकी और एकाकल्पना इंशार्टवर्कर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ)
<b>गोडल निमाय / प्रबन्धन</b>	मार्गदर्शन।
<b>परियोजना की लागत</b>	आइस लाइट, कोल्ड स्टोर, नींबू ब्रूफर्स, महसीदी ग्रोवरिंग वित्त।
<b>मार्जिन राशि</b>	निर्धारित नहीं है।
<b>पोर्टल</b>	20 प्रतिशत।
<b>नोट :-</b> सहकारी समितियों को इस योजना में अंकित होने पाजित नेटवर्क के साथ लाभ में होना चाहिए।	

सरकार द्वारा सहकारी समुद्दि के विजेन को साकार करने की दिशा में लिये गए उपरोक्त निर्णयों को जानकारी हेतु वी-प्रेस की आगामी प्रवच्य समिति की बैठक में की प्रस्तुत किया जाए।


अल्प कार्य करने वाले समितियों एवं अम्बेड्करों को वरीयता प्रदान की जाए।

कृपया इस सम्बन्ध में खूब कार्यवाही से सम्बन्धित विषय पुराय काम्पैलेंट अधिकारी, निला सहकारी वैक लिं. जनपर्दी पर सहकारी निवेशक / भाइलीय समूह आयुक्त एवं संयुक्त निवन्धक को अवगत कराते हुए इस कार्यसभा को जी अवगत करें।

  
मिशन एवं निवन्धक,  
सहकारी समूह।

**प्रांक** / दिनांकित उक्त।

- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निवन्धक, सहकारिता, उम्मा को इस निर्देश के साथ ब्रेफिंग के लिए इसकी परिपत्राक की प्रतिलिपि अपने जनपद मी प्रदेश समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को भागीदारी करायें।
- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निवन्धक, निला सहकारी वैक लिं. उम्मा की साथ राशि को मार्गदर्शन नहीं है।
- समस्त सहुलि कार्यपालिक अधिकारी, निला सहकारी वैक लिं. उम्मा।
- सहकारिता, उम्मा।
- समस्त अपर आयुक्त एवं आपर निवन्धक, सहकारिता मुख्यालय।
- समस्त प्रबन्ध निवेशक, ग्रीष्म सहकारी संस्थाएँ।
- प्रमुख सचिव, सहकारिता, उम्मा शासन।
- निजी संस्थाएँ, ग्राम सहकारिता संघ ग्राम (सरकारी प्राप्त), उम्मा, शासन।

  
अपर आयुक्त एवं आपर निवन्धक,

(आपर अनुदान राशि)  
सहकारिता, उम्मा।

<https://dahd.nic.in/division/guidelines-implementation-fisheries-and-aquaculture-infrastructure-development-fund-sidf>

अवेदन कैसे करें